राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

प.5 (58)/आ.कृ./एमएनओओपी/एमएम—ााा/2015—16/5113-5154 जयपुर दिनांक 23.11.15

चीफ आपरेशन आफिसर,
राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0,
जयपुर

उप निदेशक कृषि (वि0)
बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू
हनुमानगढ/टोंक/बांरा/जैसलमेर/झुझूंनू/धौलपुर/अलवर

विषय – जैतून की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के लक्ष्यो के दिशा—निर्देशो के संदर्भ में स्पष्टीकरण।

प्रसंग – आयुक्तालय के समसख्यक आदेश क्रमांक 1037—1072 दिनांक 12.6.2015, एवं 2796—2838 दिनांक 17.8.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासांगिक पत्रों के माध्यम से नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीडस एवं ऑयल पाम योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्यवन हेतु दिशा—निर्देश जारी किये गये थे। जारी दिशा—निर्देशो में अग्रिम निदेश निम्न प्रकार से है –

1. एनएमओओपी एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसानों द्वारा जैतून के पौधे आरओसीएल के सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स पर स्थापित नर्सरी के माध्यम से प्राप्त/उपलब्ध करवाये गये है।
2. योजनाओं के प्रावधान प्रति हैक्टेयर अधिकतम राशि रू0 48000/– से गणना करते हुये, अनुदान राशि का भुगतान आरओसीएल द्वारा किया जावें। दोनो योजनाओं में किसानों को अनुदान दिये जाने के पेटे आरओसीएल को राशि उपलब्ध करवायी गयी है।
3. आयुक्तालय के आदेश दिनांक 17.8.2015 के अनुसार किसानों को जैतून के पौधे उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त यदि कोई राशि बचती है तो कृषक उस राशि को अन्य कृषि आदानों पर उपयोग कर उसके बिल तथा अपने बैंक खाते का विवरण संबन्धित उप निदेशक कृषि को उपलब्ध करवाया जावें तथा संबन्धित उप निदेशक कृषि की सिफारिश के पश्चात अनुदान की राशि का भुगतान आरओसीएल द्वारा किसानों को उनके खाते में हस्तांतरित किया जावें।

4. पौधो के संधारण तथा अन्तराशस्य पर देय अनुदान उप निदेशक कृषि की सिफारिश पर आरओसीएल द्वारा संबन्धित कृषक के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।

5. पौधों के पेटे अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु संबन्धित उप निदेशक कृषि विस्तार/मुख्यालय द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति को आधार माना जावें। राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

6. आरओसीएल द्वारा पौधो के संधारण हेतु देय अनुदान के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व मुख्यालय से जारी दिशा–निर्देश दिनांक 12.6.2015 के बिंदु संख्या **"ब"** में उल्लेखित निरीक्षण अधिकारियों से पौधरोपण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें, जिसका प्रारूप संलग्न है।

(कुलदीप रांका)
o/c शासन सचिव एवं आयुक्त
कृषि एवं उद्यानिकी

प.5 (58)/आ.कृ./एमएनओओपी/एमएम–III/2015–16/5113-5154 जयपुर दिनांक 23.11.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. अतिरिक्त निदेशक उद्यान (एनएचएम) उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि श्रीगंगानगर/बीकानेर/सीकर/जयपुर /कोटा /जोधपुर /भरतपुर।
3. सहायक निदेशक उद्यान बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/हनुमानगढ/टोंक/बांरा/ जैसलमेर /झुझुंनू/ धौलपुर /अलवर
4. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बीकानेर /श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/हनुमानगढ/ टोंक / बांरा/ जैसलमेर /झुझुंनू/ धौलपुर/अलवर

(एम0 एल0 सालोदिया)
o/c अतिरिक्त निदेशक कृषि (एमएनओओपी)